भारत सरकार

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

(खेल विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2360

उत्तर देने की तारीख 03 अगस्त, 2026

12 श्रावण, 1948 (शक)

एआई-आधारित एथलीट मूल्यांकन

2360. श्री नरेश गणपत म्हस्के:

श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर :

श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे:

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:

श्रीमती भारती पारधी :

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में विशेष रूप से जून 2026 में समाप्त हुए गह्व प्रतिभा खोज चरण के दौरान सफलतापूर्वक मानचित्रित (मैण्ड) और जांच किए गए जमीनी स्तर के छात्रों की प्रोफाइल का ब्यौरा क्या है,

(ख) आकांक्षी ब्लॉकों में युवाओं की बुनियादी एथलेटिक सहनशक्ति का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) - संचालित शारीरिक मूल्यांकन मापदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ग) स्थानीय एथलेटिक अकादमियों को समान प्रशिक्षु समूहों के लिए केंद्रीय छात्रवृत्ति वितरण का दोहरा दावा करने से रोकने के लिए क्या संरचनात्मक तंत्र स्थापित किए गए हैं;

(घ) अवसंरचना-तैयार ग्रामीण विद्यालयों को राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों को विशेष क्षेत्रीय फीडर केंद्रों में बदलने हेतु चयन के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ङ) पात्र उम्मीदवारों के सत्यापित बैंक खातों में पोषाहार और उपकरण भत्तों के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) को निष्पादित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं, और

(च) इन डिजिटल ट्रैकिंग पहलों के बाद महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में विशेष रूप से टीयर-दो और टीयर-तीन शहरों में प्रतिस्पर्धी खेल प्रतिभा पाइपलाइन के अनुमानित विस्तार का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क): प्रत्येक खेल विधा के लिए प्रतिभा पहचान एवं विकास समिति (टीआईडीसी) द्वारा अनुशंसित मानकों के अनुसार मान्यता प्राप्त प्रतियोगिताओं से एथलीटों की पहचान एवं स्काउटिंग की जाती है।

महाराष्ट्र के 43 खेलो इंडिया केंद्रों (केआईसी) में,1,598 युवा खिलाड़ियों को सक्रियता से प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है तथा उनकी प्रोफाइल तैयार की जा रही है। मध्य प्रदेश के 52 खेलो इंडिया केंद्रों (केआईसी) में 1,342 युवा खिलाड़ियों को सक्रियता से प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है तथा उनकी प्रोफाइल तैयार की जा रही है।

(ख): प्रतिभा पहचान अथवा खेल विज्ञान कार्यक्रमों के अंतर्गत किए जाने वाले आधारभूत शारीरिक-क्रियात्मक (बेसलाइन फिजियोलॉजिकल) मूल्यांकन स्थापित वैज्ञानिक प्रोटोकॉल तथा मानकीकृत क्षेत्रीय एवं प्रयोगशाला मापदंडों पर आधारित होते हैं जिनकी विवेचना योग्य खेल विज्ञान विशेषज्ञों द्वारा की जाती है।

सामान्यतः मापे जाने वाले शारीरिक-क्रियात्मक मानदंडों में शारीरिक माप संबंधी विशेषताएँ (ऊंचाई, शरीर का भार, शरीर संरचना), हृदय-वाहिका संबंधी फिटनेस (हृदय गति, रक्तचाप, जहाँ संभव हो एरोबिक क्षमता), मांसपेशियों की शक्ति एवं स्थिरता, लचीलापन, गति, चपलता, संतुलन तथा खेल-विशिष्ट शारीरिक फिटनेस से संबंधित चयनित परीक्षण शामिल होते हैं।

(ग): प्रत्येक पहचाने गए खेलो इंडिया एथलीट (केआईए) को आधार से संबद्ध एक विशिष्ट राष्ट्रीय खेल रिपॉजिटरी प्रणाली (एनएसआरएस) आईडी प्रदान की जाती है। खेलो इंडिया मान्यता प्राप्त अकादमियों (केआईएए) को निधियों का निर्गमन राष्ट्रीय खेल रिपॉजिटरी प्रणाली (एनएसआरएस) पोर्टल पर खेलो इंडिया एथलीटों (केआईए) द्वारा अंकित उपस्थिति के आधार पर किया जाता है, जिससे एक ही एथलीट के दोहरे दावे एवं एकाधिक बार निधि निर्गमन को रोकने में सहायता मिलती है।

इसके अतिरिक्त, सभी प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता का वितरण सत्यापित अभ्यर्थियों के बैंक खातों में सीधे किया जाता है।

(घ): किसी विशेष सुविधा को राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (एनसीओई) स्कीम के अंतर्गत अंगीकरण करने हेतु उपयुक्तता का आकलन करते समय विभिन्न मानदंडों को ध्यान में रखा जाता है, जिनमें खेल अवसंरचना की उपलब्धता एवं पर्याप्तता, आवासीय सुविधाएँ, समग्र खेल पारिस्थितिकी तंत्र, एथलीटों की क्षमता, परिचालन व्यवहार्यता तथा अन्य प्रासंगिक विचार शामिल हैं। भारतीय खेल

प्राधिकरण (साई) के अंतर्गत राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (एनसीओई) स्कीम की स्थापना पर विचार राज्य सरकार एवं अन्य प्राधिकरणों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर किया जाता है।

इसके अलावा, ग्रामीण विद्यालयों एवं जिला खेल परिसरों का खेलो इंडिया केंद्रों (केआईसी) के रूप में चयन राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों को विभागीय परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा तकनीकी व्यवहार्यता, भूमि की उपलब्धता तथा अन्य मानदंडों के मूल्यांकन के पश्चात किया जाता है।

(ङ) और (च): खेलो इंडिया स्कीम के एथलीट-केंद्रित वित्तीय ढांचे के तहत प्रत्येक पहचाने गए एथलीट (जिसमें महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्य के खिलाड़ी भी शामिल हैं) को ₹6.28 लाख प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो दोहरे निर्गमन तंत्र के माध्यम से दी जाती है, जिसमें ₹10,000 प्रतिमाह (कुल ₹1.20 लाख प्रति वर्ष) की प्रत्यक्ष आउट-ऑफ-पॉकेट भत्ता (ओपीए) राशि खिलाड़ी के सत्यापित बैंक खाते में सीधे जमा की जाती है तथा वार्षिक सहायता राशि की शेष राशि, जिसमें उच्च प्रदर्शन प्रशिक्षण, विशेष पोषण आहार, आवास, उपकरण एवं खेल विज्ञान सहायता शामिल हैं, खेलो इंडिया एथलीटों (केआईए) के सत्यापित दावों के प्रस्तुत किए जाने पर मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण अकादमी को सीधे हस्तांतरित की जाती है।
